पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार याचिका संख्या 14697

==========

बाल विकास विद्यालय, प्रबंध निदेशक के माध्यम से, गोपाल नारायण सिंह, पुरुष, उम्र लगभग 82 वर्ष, पिता– स्वर्गीय देव नारायण सिंह, निवासी– ग्राम जमुहार, थाना– डेहरी ऑन सोन, जिला– सासाराम (रोहतास)।

... ...याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य, आयुक्त-सह-पंजीयक महानिरीक्षक, पंजीकरण विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. पंजीकरण महानिरीक्षक (आई.जी.), पंजीकरण विभाग, बिहार, पटना।
3. पंजीकरण उपमहानिरीक्षक (डी.आई.जी.), (सोसायटी एवं फर्म पंजीकरण) पंजीकरण विभाग, बिहार, पटना
4. जिलाधिकारी, रोहतास (सासाराम)।
5. एस. पी. वर्मा, पिता – स्वर्गीय हरिहर प्रसाद वर्मा, निवासी– जयनाथ भवन, सिविल लाइन, डाकघर एवं थाना – सासाराम, जिला – सासाराम।
6. रोहित वर्मा, पिता – एस.पी. वर्मा, निवासी– जयनाथ भवन, सिविल लाइन, डाकघर एवं थाना – सासाराम, जिला – सासाराम।

... ...उत्तरवादी/गण

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिए:	श्री वाई. वी. गिरि, वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमती निवेदिता निर्विकर, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अमीश कुमार, अधिवक्ता श्री प्रभाकर ठाकुर, अधिवक्ता श्री अमीन हयात, अधिवक्ता
राज्य के लिए:	श्री विकास कुमार (एससी-11)
निजी उत्तरदाता सं0 5 एवं 6 के लिए:	श्री मृगांक मौली, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वेंकटेश कीर्ति, अधिवक्ता

==========

अधिनियम/धाराएं/नियम:

- *बिहार सोसाइटी पंजीकरण नियमावली, 2018 के नियम 18(iii), 22(ii)*
- *सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860*

संदर्भित प्रकरण:

- *इब्राहीम अबूबकर एवं अन्य बनाम इवैक्यूई संपत्ति के संरक्षक, नई दिल्ली [(1952)1 एस सी सी 798]*
- *शिउर साखर कारखाना (प्रा.) लि. बनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया [(2020) 19 एस सी सी 592]*
- *श्याम सेल एंड पावर लि. एवं अन्य बनाम श्याम स्टील इंडस्ट्रीज लि. [(2023)1 एस सी सी 634]*
- *नेल्सन मोटिस बनाम भारत सरकार एवं अन्य [(1992)4 एस सी सी711]*
- *शिव शक्ति कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाम स्वराज डेवलपर्स एवं अन्य [(2003)6 एस सी सी 659]*
- *नाथी देवी बनाम राधा देवी गुप्ता [(2005)2 एस सी सी 271]*
- *महाराष्ट्र राज्य बनाम महबूब एस. अलीभॉय एवं अन्य [(1996) 4 एस सी सी 411]*
- *अरुण कुमार अग्रवाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य [(2014) 13 एस सी सी 707]*
- *एस.बी. मिनरल्स बनाम एमएसपीएल लिमिटेड [(2010)12 एस सी सी 24]*
- *श्याम सेल एंड पावर लि. एवं अन्य बनाम श्याम स्टील इंडस्ट्रीज लि.[(2013)1 एस सी सी634]*
- *शाह बाबूलाल खिमजी बनाम जयाबेन डी. कानिया एवं अन्य [(1981) 4 एस सी सी 8]*
- *जे.वाई. कोंडाला राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम [1960 एस सी सी ऑनलाइन एस.सी. 66]*

- *एडुकांति किस्तम्मा (मृतक) द्वारा एल.आर.एस. एवं अन्य बनाम एस. वेंकटारेड्डी (मृतक) द्वारा एल.आर.एस. एवं अन्य [(2010)1 एस सी सी 756]*
- *मेसर्स जेठानंद एंड संस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एआईआर 1961 एससी 794 में रिपोर्ट किया गया*

याचिका:

यह याचिका उस आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई थी, जो राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष-सह-सदस्य द्वारा पारित किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा उप महानिरीक्षक (पंजीकरण) द्वारा पारित दिनांक 26.11.2019 के आदेश को चुनौती देने वाली अपील को सुनवाई योग्य नहीं माना गया और उसी के अनुसार अपील को निपटा दिया गया। याचिकाकर्ता ने 26.11.2019 के उस आदेश को भी रद्द करने की प्रार्थना की है, जिसमें जिला पदाधिकारी को बिहार सोसाइटी पंजीकरण नियमावली, 2018 के नियम 18(iii) के तहत बाल विकास समिति के चुनाव कराने का निर्देश दिया गया था।

निजी प्रतिवादी द्वारा विद्यालय की प्रबंध समिति में अनियमितताओं को लेकर पंजीकरण विभाग के महानिरीक्षक के समक्ष शिकायत करने के बाद, उप महानिरीक्षक ने सहायक महानिरीक्षक से जांच कराई, और रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसके उपरांत उप महानिरीक्षक ने जिला पदाधिकारी को दिनांक 26.11.2019 को एक मेमो जारी किया, जिसमें केवल वैध सदस्यों की भागीदारी से समिति के चुनाव कराने का निर्णय लिया गया।

निर्णय:

दिनांक 26.11.2019 के आदेश में समिति के पुनः चुनाव कराए जाने हेतु कोई कारण नहीं दर्शाया गया है। साथ ही, यह आदेश एक अंतिम आदेश की प्रकृति

का है, जो दो प्रतिद्वंद्वी कार्यकारिणी निकायों के अस्तित्व से उत्पन्न विवाद का निर्णयन करता है और निश्चित रूप से याचिकाकर्ता के अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित करता है। यह स्थापित विधि है कि यदि कोई आदेश पक्षों के अधिकारों से संबंधित अंतिम निर्णय का रूप ले ले, तो वह अंतिम आदेश माना जाता है। (अनुच्छेद 22)

राजस्व बोर्ड ने यह कहते हुए त्रुटि की है कि दिनांक 26.11.2019 का पत्र केवल एक अंतरिम आदेश है और नियम 22 के अंतर्गत अपील योग्य नहीं है। (अनुच्छेद 23)

अपील को राजस्व बोर्ड को गुण-दोष के आधार पर पुनः विचारार्थ लौटाया गया।(अनुच्छेद 26)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

पीठासीन: माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह
सीएवी निर्णय
दिनांक: 07-04-2025

वर्तमान रिट याचिका पंजीकरण मामला संख्या 30/2019 में अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व बोर्ड, बिहार, पटना द्वारा पारित दिनांक 19.09.2023 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जिसके माध्यम से और जिसके अंतर्गत याचिकाकर्ता द्वारा बिहार सोसायटी पंजीकरण नियम 2018 (इसे बाद 'नियम, 2018' के रूप में संदर्भित किया गया है) के नियम 22 (ii) के तहत दायर अपील, पंजीकरण (सोसायटी और फर्म पंजीकरण) के उप-महानिरीक्षक (डी. आई. जी.), पंजीकरण विभाग, बिहार, पटना अर्थात उत्तरवादी सं. 3, को विचारणीय नहीं माना गया, और तदनुसार अपील का निस्तारण कर दिया

गया। याचिकाकर्ता ने आगे यह प्रार्थना की है कि दिनांक 26.11.2019 को पारित आदेश को भी रद्द किया जाए, जिसे यद्यपि उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा अभिवाहित किया गया है, तथापि उक्त आदेश उत्तरवादी संख्या 2, अर्थात् पंजीकरण विभाग, बिहार, पटना के पंजीयक महानिरीक्षक (आई.जी.) द्वारा पारित किया गया है, जिसके माध्यम से और जिसके अंतर्गत जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम को निर्देशित किया गया है कि वे 'बाल विकास समिति, सासाराम' जिसका पंजीयन संख्या 58/1985-86 है, की चुनाव प्रक्रिया 'नियमावली, 2018' के नियम 18(iii) के आलोक में कराएं।

2. याचिकाकर्ता के अनुसार, मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि याचिकाकर्ता अर्थात् 'बाल विकास विद्यालय' एक प्रगतिशील सह-शैक्षिक विद्यालय है, जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से विधिवत रूप से संबद्ध है। जिसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत 14.01.1976 पर स्थापित किया गया था, जिसमें पंजीकरण संख्या 58/ 1985-86 दिनांक 05.06.1984 है। याचिकाकर्ता के प्रबंध निदेशक गोपाल नारायण सिंह हैं। उत्तरवादी संख्या 5 अर्थात् श्री एस.पी. वर्मा, जो पूर्व में 'बाल विकास विद्यालय, सासाराम' (जिसे आगे 'विद्यालय' के रूप में संदर्भित जाएगा) की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष थे, ने बाद में अपना कार्य जारी रखने में अनिच्छा व्यक्त की। अतः, उनके स्थान पर दिनांक 09.05.2018 को विद्यालय की प्रबंधन समिति की बैठक में पारित प्रस्ताव के माध्यम से श्री एल.एम. पोद्दार को अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसे सर्वसम्मति से दिनांक 15.07.2018 को पारित प्रस्ताव के द्वारा पुष्टि प्रदान की गई। फलस्वरूप, श्री एल.एम. पोद्दार विद्यालय के अध्यक्ष बन गए, श्री गोपाल नारायण सिंह प्रबंधन निदेशक के रूप में कार्यरत रहे, जबकि एक श्री उपेंद्र वर्मा उपरोक्त स्कूल की प्रबंध समिति के

सहायक निदेशक बने। उत्तरवादी संख्या 5 एवं 6 ने, उपरोक्त घटनाक्रम से व्यथित होकर, नवगठित प्रबंध समिति के प्रस्ताव पर सवाल उठाया, हालांकि उत्तरवादी संख्या 5 स्वयं उक्त प्रस्ताव पर हस्ताक्षरकर्ता थे । उन्होंने दिनांक 20.09.2018 को उत्तरवादी संख्या 2 के समक्ष तथा दिनांक 15.11.2018 को सहायक निबंधक, पंजीकरण विभाग, बिहार, पटना के समक्ष एक शिकायत दायर की, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि उक्त विद्यालय की प्रबंधन समिति द्वारा अनियमितताएँ की जा रही हैं, जिनमें बाहरी व्यक्तियों द्वारा वित्तीय अनियमितताएँ भी सम्मिलित हैं। शिकायत में यह प्रार्थना की गई कि उक्त आरोपों की जाँच किसी सरकारी पदाधिकारी या समिति द्वारा कराई जाए और तत्पश्चात उपयुक्त कार्रवाई की जाए। याचिकाकर्ता ने तब शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों से इनकार करते हुए 27.02.2019 पर उपरोक्त शिकायत का अपना विस्तृत जवाब दायर किया और साथ ही, यह भी कहा गया कि शिकायतकर्ता को उक्त शिकायत दायर करने का कोई वैध अधिकार नहीं है, अतः यह शिकायत खारिज किए जाने योग्य है। याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी संख्या 6 अर्थात् रोहित वर्मा द्वारा दायर की गई शिकायत की ग्राह्यता पर भी प्रश्न उठाया, निम्नलिखित आधारों पर :-

क) बाल विकास विद्यालय, सासाराम के उपनियमों का खंड-2 सदस्यता से संबंधित है जिसमें सदस्यों के पांच वर्ग हैं -

i. संरक्षक

ii. संस्थापक सदस्य

iii. निगमित सदस्य

iv. दान देने वाले

v. सह-चयनित संरक्षक प्रतिनिधि

ख) शिकायतकर्ता रोहित वर्मा बाल विकास विद्यालय के संस्थापक सदस्य नहीं हैं।

ग) बाल विकास विद्यालय की स्थापना 05.06.1984 पर की गई थी और बाद में इसे वर्ष 1985 में पंजीकृत किया गया था।इसकी स्थापना 11 संस्थापक सदस्यों द्वारा की गई थी, लेकिन शिकायतकर्ता का नाम नहीं है, बल्कि उसके पिता एस. पी. वर्मा (उत्तरवादी संख्या 5) का नाम है।

घ) शिकायतकर्ता स्वयं को प्रायोजक निगमित सदस्य स्वीकार करता है। खंड-2 (iii) में निगमित सदस्य की श्रेणी के तहत, यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि निगमित सदस्य ऐसी संस्था/संघ होगा जो वार्षिक सदस्यता का भुगतान करता है जैसा कि यहाँ दिखाया गया है।

<u>लायंस क्लब ऑफ सासाराम को प्रधान प्रायोजक के रूप में दिखाया गया है।</u>

ङ) यहां तक कि उप-विधियों के खंड -9(ख)(i) के अनुसार भी यह स्पष्ट है कि 11 व्यक्तियों को संस्थापक सदस्यों की सूची से नामित किया जाएगा तथा 7 व्यक्तियों को संस्थापक कॉर्पोरेट सदस्य द्वारा नामित किया जाएगा, जिसमें लायंस क्लब ऑफ सासाराम भी शामिल है। यह आगे इंगित करता है कि निगमित सदस्य की संख्या सात होगी, लेकिन सासाराम के लायंस क्लब से केवल एक निगमित सदस्य होगा, और वह भी तभी जब वह अनुच्छेद-2(5)(iii) में निर्धारित मानदंडों को पूरा करता है, न कि उनके द्वारा मनमाने ढंग से सात सदस्य मानने के अनुसार।

च) उत्तरवादी संख्या 6 यह भी स्वीकार करता है कि बाल विकास विद्यालय, सासाराम में 11 संस्थापक सदस्य हैं।

छ) संस्थापक निगमित सदस्य केवल एक सदस्य होता है न कि सात, जैसा कि उत्तरवादी संख्या 6 द्वारा दावा किया गया है।

ज) उपनियमों के खंड-3 में, यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि लायंस क्लब ऑफ सासाराम केवल संस्थापक निगमित सदस्य है न कि संस्थापक सदस्य।

झ) यह कि उत्तरवादी संख्या 6 ने प्रतिशोध की भावना के साथ अपनी व्यक्तिगत क्षमता में वर्तमान शिकायत दायर की है। उनके पास शिकायत दायर करने का वैध अधिकार नहीं है। लायंस क्लब ऑफ सासाराम की ओर से वर्तमान शिकायत दायर करने एवं आगे बढ़ाने के लिए कोई सर्वसम्मति निर्णय नहीं हुआ है। उत्तरवादी संख्या 6 ने बाल विकास विद्यालय, सासाराम, रोहतास की प्रबंधन समिति के विरुद्ध शिकायत दायर करने के लिए किसी भी प्रकार का प्राधिकरण पत्र या दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किया है

यं) उत्तरवादी संख्या 6 ने लायंस क्लब ऑफ सासाराम की उप-विधि प्रस्तुत नहीं की है और ऐसा कोई दस्तावेज अस्तित्व में ही नहीं है। इसके अतिरिक्त, रोहित वर्मा ने निगमित सदस्य के रूप में अपनी स्थिति प्राप्त की है, अतः उनकी भूमिका केवल एक प्रायोजक की है, जिनका कर्तव्य विद्यालय के संचालन में सहयोग प्रदान करना मात्र है। उसके पास कोई भी वह भूमिका एवं शक्तियाँ नहीं हैं, जो संस्थापक सदस्यों एवं विद्यालय की प्रबंधन समिति के पास हैं

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वाई. वी. गिरि ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी पंजीकरण विभाग के समक्ष दायर उत्तरवादी संख्या 6 की शिकायत के साथ संलग्न जाली एवं मनगढ़ंत उपविधि के संबंध में भी आपत्ति उठाई थी, इसके अतिरिक्त यह मुद्दा भी उठाया गया था कि उत्तरवादी संख्या 6 एक स्थायी चूककर्ता है, जिसने कई वर्षों से सदस्यता शुल्क का भुगतान नहीं किया है। इसके बाद सहायक पंजीकरण महानिरीक्षक, पंजीकरण विभाग, बिहार, पटना ने दिनांक 18.04.2019 को एक जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर याचिकाकर्ता ने 13.08.2019 पर अनुच्छेदवार प्रत्युत्तर दिया। इसके पश्चात्, उत्तरवादी संख्या 3 ने ज्ञापांक संख्या 540 दिनांक 06.09.2019 के माध्यम से याचिकाकर्ता एवं उत्तरवादी संख्या 6 को संबोधित करते हुए संलग्न प्रश्नावली के संदर्भ में अनुच्छेदवार प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु कहा, जिसके उपरांत याचिकाकर्ता ने दिनांक 22.10.2019 को अपना अनुच्छेदवार प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया। इसके पश्चात, उत्तरवादी संख्या 3 ने याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किए बिना, ज्ञापांक संख्या 737 दिनांक 26.11.2019 जारी किया, जिसे सासाराम, रोहतास के जिला पदाधिकारी को संबोधित किया गया। उक्त ज्ञापांक में यह कहा गया कि बाल विकास विद्यालय समिति के चुनाव को इस प्रकार आयोजित किया जाएगा कि केवल वैध सदस्य ही भाग लें, अतः सासाराम, रोहतास के जिला पदाधिकारी से अनुरोध किया गया कि पंजीकरण संख्या 58/1985-86 वाले बाल विकास विद्यालय समिति के चुनाव का आयोजन विभाग को आवश्यक सूचना प्रदान करते हुए करें। तदुपरांत, याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 26.11.2019 के उक्त आदेश को अपील संख्या 30/2019 के माध्यम से राजस्व बोर्ड, पटना के अध्यक्ष-सह-सदस्य के समक्ष चुनौती दी, जिसे दिनांक

10.02.2020 को दाखिल कर लिया गया तथा दिनांक 26.11.2019 के पत्र का वह अंश, जो बाल विकास विद्यालय समिति के चुनाव से संबंधित था, पर रोक लगा दी गई। मामले की सुनवाई कई तारीखों पर हुई, हालांकि, इस दौरान उत्तरवादी संख्या 6 ने सिविल रीट याचिका संख्या 7799 / 2023 के तहत एक रिट याचिका दायर की, जिसे माननीय पटना उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सुना गया और दिनांक 05.07.2023 के आदेश द्वारा निपटारा कर दिया गया। आदेश में अपीलीय प्राधिकारी को निर्देश दिया गया कि लंबित अपील का निस्तारण कारणयुक्त और स्पष्ट आदेश/निर्णय पारित कर, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, छह माह की अवधि के भीतर करे । उल्लेखित अपील की पुनः सुनवाई अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व बोर्ड, बिहार, पटना द्वारा की गई, और पक्षकारों को अपने-अपने लिखित प्रतिवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया गया। तत्पश्चात्, अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व बोर्ड, बिहार, पटना ने प्रश्नगत आदेश दिनांक 19.09.2023 के द्वारा उक्त अपील का निस्तारण इस टिप्पणी के साथ कर दिया कि पंजीकरण उप महानिरीक्षक द्वारा जिलाधिकारी, रोहतास को संबोधित पत्र दिनांक 26.11.2019 नियम 18(iii), बिहार सोसाइटी पंजीकरण नियमावली, 2018 के अंतर्गत चुनाव संपन्न कराने हेतु दिया गया एक अंतरिम आदेश मात्र है, न कि कोई अंतिम आदेश, अतः यह नियम 22, नियमावली 2018 के तहत अपील योग्य नहीं है।

4. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वाई. वी. गिरि ने उत्तरवादी संख्या 3 अर्थात् उपमहानिरीक्षक (डी.आई.जी.), पंजीकरण (सोसाइटी एवं फर्म पंजीकरण), पंजीकरण विभाग, पटना के द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 26.11.2019 का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया है कि उक्त आदेश पूर्णतः क्षेत्राधिकार के बाहर पारित किया गया है, क्योंकि यह आदेश ऐसे

पदाधिकारी द्वारा पारित किया गया है जिसे नियम 18, बिहार सोसाइटी पंजीकरण नियमावली, 2018 के तहत ऐसा आदेश पारित करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त नियम के अनुसार पंजीकरण महानिरीक्षक, पंजीकरण विभाग, बिहार, पटना (उत्तरवादी संख्या 2) ही उपयुक्त आदेश पारित करने के लिए प्राधिकृत हैं, और वस्तुतः नियम 19 के अनुसार यह आवश्यक है कि सभी पक्षकारों को यथोचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत ही पंजीकरण महानिरीक्षक द्वारा उपयुक्त आदेश पारित किया जाए। यह भी निवेदन किया गया है कि उत्तरवादी संख्या 3 ने प्रश्नगत आदेश दिनांक 26.11.2019 पारित करते समय अपनी अधिकार-सीमा से बाहर जाकर कार्य किया है, क्योंकि दिनांक 20.09.2018 को उत्तरवादी संख्या 6 द्वारा उत्तरवादी संख्या 2 के समक्ष तथा दिनांक 15.11.2018 को सहायक निबंधक, निबंधन विभाग, बिहार, पटना के समक्ष दायर की गई शिकायतें केवल विद्यालय की प्रबंध समिति द्वारा कार्यों के संचालन में की जा रही अनियमितताओं तथा बाहरी व्यक्तियों द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित थीं। हालांकि, प्रबंध समिति के नए चुनाव कराने के संबंध में कोई शिकायत नहीं की गई थी। किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रश्नगत आदेश दिनांक 26.11.2019 अपनी प्रकृति में अस्पष्ट है तथा किसी भी तर्क से रहित है, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री एवं उसके द्वारा उठाए गए तर्कों पर न तो ध्यान दिया गया है और न ही विचार किया गया है, जब उक्त आदेश पारित किया गया था।

5. अब, अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व बोर्ड, बिहार, पटना द्वारा पंजीयन वाद संख्या 30 / 2019 में पारित दिनांक 19.09.2023 अपीलीय आदेश पर आते हैं। उक्त आदेश के संदर्भ में, याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत

किया गया है कि उक्त आदेश विधि और तथ्य—दोनों ही दृष्टिकोण से त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि दिनांक 26.11.2019 को उत्तरवादी संख्या-3 द्वारा बाल विकास विद्यालय समिति की प्रबंध समिति का चुनाव कराने के निर्देश से संबंधित जो आदेश पारित किया गया था, वह एक अंतिम आदेश की प्रकृति का है, क्योंकि पक्षकारों के मध्य एक महत्वपूर्ण मुद्दे का निर्णय उसमें किया गया है। अतः, अपीली प्राधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 19.09.2023 में यह कहना कि दिनांक 26.11.2019 का आदेश केवल नियम 18 (iii), नियमावली 2018 के अंतर्गत एक निर्देश मात्र है और यह एक अंतरिम आदेश है, अंतिम आदेश नहीं है, जिसके कारण अपील विचारणीय नहीं है—यह निष्कर्ष न केवल त्रुटिपूर्ण है, बल्कि विधि की दृष्टि से भी स्वीकार्य नहीं है। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि यह एक स्थापित सिद्धांत है कि वह आदेश, जो अंततः मुद्दे का निर्णय करता है तथा मुख्य प्रकरण के निर्णय पर सीधे प्रभाव डालता है, या वह आदेश जो सहायक मुद्दे या उस प्रश्न का निर्णय करता है जो मुख्य प्रकरण का विषय नहीं है, या जो पक्षों के अधिकारों एवं दायित्वों का अंतिम रूप से निर्धारण करता है, उन पर अपील की जा सकती है। वर्तमान प्रकरण में, न केवल उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 26.11.2019 का आदेश, जिसमें ससाराम के रोहतास जिलाधिकारी को बाल विकास विद्यालय, ससाराम की प्रबंध समिति के चुनाव आयोजित करने का निर्देश दिया गया है, एक अंतिम आदेश की प्रकृति रखता है, बल्कि नियम, 2018 की धारा 22(ii) के अंतर्गत यह भी प्रावधान है कि आई.जी. पंजीकरण द्वारा पारित किए गए सभी आदेश अपील योग्य हैं। अतः यह तर्क दिया जाता है कि दिनांक 19.09.2023 का प्रश्नगत आदेश निरस्त किया जाना उचित है। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाया गया एक निर्णय, जिसे ***(इब्राहिम***

अबूबकर और अन्य बनाम निकासी संपत्ति का संरक्षक, नई दिल्ली 1952) 1 एस. सी. सी. 798) में रिपोर्ट किया गया है, का हवाला देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपील की व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर यह माना कि बम्बई निर्वासी (संपत्ति प्रशासन अधिनियम) 1949 की धारा 24 के अंतर्गत किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा अपील दायर की जा सकती है, जो अधिनियम की धारा 7, धारा 60, धारा 19 या धारा 38 के तहत बनाए गए आदेश से प्रभावित हुआ हो। न्यायालय ने यह भी कहा कि चूंकि अपीलीय न्यायालय को अत्यधिक व्यापक शब्दों में गठित किया गया है और विधायिका ने इसकी क्षेत्राधिकारिता को किसी विशेष तथ्यात्मक स्थिति तक सीमित नहीं किया है, इसलिए अधिनियम, 1949 की धारा 7 आदि के अंतर्गत बनाए गए सभी आदेश अपील योग्य होंगे, क्योंकि अधिनियम, 1949 की धारा 34 में अपील योग्य आदेशों की प्रकृति को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ अधिवक्ता ने अगला तर्क प्रस्तुत करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***शीउर सखर कारखाना (प्रा.) लिमिटेड बनाम एस. बी. आई., के मामले जिसे (2020) 19 एस. सी. सी. 592*** में रिपोर्ट किया गया है, का हवाला दिया है। इस मामले में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 21(अ)(ii) की व्याख्या करते समय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राष्ट्रीय आयोग में राज्यों के आयोगों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील सुनने का अधिकार निहित है। न्यायालय ने विशेष रूप से स्पष्ट किया कि धारा 21(अ)(ii) में प्रयुक्त "आदेश" शब्द का अर्थ है और इसमें "कोई भी आदेश" शामिल है। याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक अन्य निर्णय ***श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड और अन्य बनाम श्याम स्टील इंडस्ट्रीज***

लिमिटेड, जिसे (2023) 1 एस. सी. सी. 634 में रिपोर्ट किया गया है, पर भी भरोसा जताया है। उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय में यह माना है कि प्रत्येक अंतःकालिक आदेश को निर्णय नहीं माना जा सकता, बल्कि केवल वे ही आदेश निर्णय की श्रेणी में आएंगे जो किसी महत्वपूर्ण मुद्दे का निपटारा करते हैं, या जो पक्षकारों के महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान अधिकारों को प्रभावित करते हैं, तथा जिनके कारण संबंधित पक्षों को गंभीर अन्याय होता है। अंत में, यह तर्क दिया जाता है कि जब किसी विधि के शब्द स्पष्ट, सरल और अस्पष्टता से मुक्त होते हैं अर्थात् उनमें केवल एक ही अर्थ संभव होता है, तो न्यायालयों को परिणामों की परवाह किए बिना उस एकमात्र अर्थ को ही लागू करना अनिवार्य है। इस प्रकार, यदि किसी विधान के शब्द—जैसे कि वर्तमान प्रकरण में हैं—स्वयं सटीक तथा स्पष्ट हैं, तो उत्तम यही होगा कि उन शब्दों का उनके प्राकृतिक और सामान्य अर्थ में विस्तार किया जाए, क्योंकि विधान के शब्द स्वयं विधाता की मंशा को स्पष्ट करने में सर्वोत्तम होते हैं। यह विधायी व्याख्या का एक स्थापित सिद्धांत भी है कि शब्दों को व्याकरणिक अर्थ देना चाहिए, अर्थात् उन्हें सामान्य अर्थ से समझा जाना चाहिए। इस संबंध में ***(1992) 4 एस.सी.सी. 711 (नेल्सन मोटीस बनाम. भारत संघ और अन्य), (2003) 6 एस.सी.सी. 659 (शिव शक्ति सहकारी समिति हाउसिंग सोसाइटी बनाम स्वराज डेवलपर्स और अन्य) और (2005) 2 एस.सी.सी. 271 (नाथी देवी बनाम राधा देवी गुप्ता)*** में रिपोर्ट किए गए निर्णयों का संदर्भ दिया गया है। इस प्रकार, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह तर्क है कि दिनांक 26.11.2019 के आक्षेपित आदेश, जो उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा पारित किए गए थे, तथा दिनांक 19.09.2023 का आदेश, जो राजस्व बोर्ड, बिहार, पटना के अध्यक्ष-

सह-सदस्य द्वारा पंजीकरण प्रकरण संख्या 30/ 2019 में पारित किया गया था, निरस्त किए जाने योग्य हैं।

6. इसके विपरीत, उत्तरवादी संख्या 1 से 4 (उत्तरवादी -राज्य) के विद्वान अधिवक्ता ने, उत्तरवादी संख्या 2 और 3 की ओर से दायर जबाबी हलफनामा का हवाला देते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि विवाद तब उत्पन्न हुआ जब श्री एल.एम. पोद्दार को 09.05.2018 के संकल्प के तहत याचिकाकर्ता विद्यालय की प्रबंध समिति का अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि पूर्व अध्यक्ष श्री एस.पी. वर्मा (उत्तरवादी संख्या 5) ने अपनी भूमिका को जारी रखने में असमर्थता व्यक्त की थी। दिनांक 09.05.2018 की प्रबंध समिति की उक्त कार्यवाही की 15.07.2018 के संकल्प द्वारा सर्वसम्मति से पुष्टि की गई, जिसके पश्चात उत्तरवादी संख्या 6 ने 20.09.2018 को आई.जी., पंजीकरण विभाग के समक्ष तथा 15.11.2018 को ए.आई.जी., पंजीकरण विभाग के समक्ष याचिकाकर्ता विद्यालय के संचालन में हो रही अनियमितताओं से संबंधित जांच हेतु शिकायत दर्ज कराई। ए.आई.जी., पंजीकरण विभाग द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात्, उत्तरवादी संख्या 3 ने उत्तरवादी संख्या 4 को दिनांक 26.11.2019 के पत्र द्वारा, नियम, 2018 के अनुसार एक पर्यवेक्षक नियुक्त करके याचिकाकर्ता समिति के चुनाव कराने का निर्देश दिया। तथापि, याचिकाकर्ता ने उक्त निर्देश को चुनौती देते हुए बिहार, पटना के राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष-सह-सदस्य के समक्ष अपील संख्या 30/2019 में अपील दायर की। इसे 19.09.2023 के दिनांकित आदेश द्वारा निस्पदित किया गया, जिसमें यह बताया गया कि दिनांक 26.11.2019 का प्रश्नगत आदेश अंतिम आदेश न होने के कारण अपरिवर्तनीय है, अतः नियम, 2018 की धारा 22 के अंतर्गत उसे अपील योग्य नहीं माना गया। यह कहा गया है कि दिनांक 26.11.2019 का आदेश

आई.जी., पंजीकरण द्वारा नियम, 2018 के नियम 18(iii) के अंतर्गत निहित वैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है, जो आई.जी., पंजीकरण को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह प्रेक्षक की उपस्थिति में संचालन/कार्यकारी निकाय का पुनः निर्वाचन कराए। अतः उक्त आदेश में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अगला तर्क यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 26.11.2019 को जारी निदेश को गलत ढंग से "आदेश"के रूप में वर्णित किया है, जबकि वह वास्तव में कोई आदेश नहीं है, बल्कि यह केवल एक प्रारंभिक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य केवल आवश्यक तथ्यों / सामग्रियों को एकत्रित करना है ताकि उपयुक्त आदेश पारित किया जा सके। नियम 18 के अनुसार पुनः निर्वाचन कराने का निर्देश कोई "आदेश" नहीं है, अतः नियम 22 के तहत यह राजस्व बोर्ड, बिहार, पटना के समक्ष अपील योग्य नहीं है। इसलिए, पूरी रिट याचिका भ्रमित करने वाली है और खारिज किए जाने योग्य है। जिलाधिकारी, रोहतास द्वारा भी एक जबाबी हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि नियम, 2018 के अनुसार चुनाव कराने तथा किसी भी कठिनाई की स्थिति में पर्यवेक्षक नामित करने के निर्देश मिलने के पश्चात्, उन्होंने 26.12.2023 के दिनांक में पर्यवेक्षक के नामांकन हेतु विभाग द्वारा याचिकाकर्ता की समिति के चुनाव कराने हेतु आई.जी., पंजीकरण को एक पत्र लिखा था। किन्तु, अब तक कोई पर्यवेक्षक नामित नहीं किया गया है। तदनुसार, बिहार, पटना के ए.आई.जी., पंजीकरण विभाग द्वारा 30.11.2023 के दिनांक में जारी एक पत्र में जिला मजिस्ट्रेट, रोहतास को चुनाव होने तक रिटेनर नियुक्त करने का निर्देश दिया गया, जिसके पश्चात् श्री चंद्र शेखर प्रसाद सिंह, ए.डी.एम., रोहतास को याचिकाकर्ता स्कूल के रिटेनर के रूप में नियुक्त किया गया है।

7. उत्तरवादी -राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने ***महाराष्ट्र राज्य बनाम महबूब एस. अलीभोय और अन्य के मामले में जिसे (1996) 4 एस.सी.सी. 411*** में रिपोर्ट किया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय का हवाला देते हुए यह तर्क दिया है कि "कोई भी आदेश" शब्दों को "निर्णय" के साथ पढ़ा जाना चाहिए, ताकि उच्च न्यायालय के किसी भी अंतर्वर्ती आदेश को अपील के दायरे से बाहर रखा जा सके। इस संबंध में, यहाँ पर अनुच्छेद संख्या 3 को पुनः प्रस्तुत करना प्रासंगिक हो सकता है:-

"3. प्रारंभिक प्रश्न यह है कि क्या प्रकरण के तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर अपमान की कार्यवाही को छोड़ने के आदेश के खिलाफ अपील दायर करना उचित है। यह एक स्थापित सिद्धांत है कि अपील एक विधान की सृष्टि है। जब तक किसी विधान में अपील का प्रावधान न हो और यह निर्दिष्ट न किया गया हो कि किस आदेश के विरुद्ध अपील दायर की जा सकती है, तब तक न तो कोई अपील दायर की जा सकती है न ही उसे वैधानिक रूप से स्वीकार किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 19 कहती है:-

19. अपीलें— (1) उच्च न्यायालय द्वारा अवमानना के लिए दंडित करने के अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए पारित किसी भी आदेश या निर्णय के विरुद्ध स्वयंसिद्ध अपील दायर की जा सकेगी—

(a) यदि आदेश या निर्णय एकल न्यायाधीश का हो, तो न्यूनतम दो न्यायाधीशों के पीठ के समक्ष;

(b) यदि आदेश या निर्णय पीठ का हो, तो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष।

बशर्ते कि यदि आदेश या निर्णय किसी केन्द्रीय राज्य के न्यायायुक्त के न्यायलय का हो, तो ऐसी अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाएगी।

(2) किसी भी अपील लंबित रहते हुए, अपीलीय न्यायालय यह आदेश दे सकता है—

(a) अपील के विरुद्ध दंड या आदेश के क्रियान्वयन को निलंबित करने का;

(b) यदि अपीलकर्ता रिमांड में हो, तो उसे जमानत पर रिहा करने का;

(c) कि अपील उस स्थिति में भी सुनी जाए जब अपीलकर्ता ने अपना अवमानना साफ नहीं किया हो।

(3) यदि कोई व्यक्ति उस आदेश से प्रभावित होकर, जिसके विरुद्ध अपील दायर की जा सकती है, उच्च न्यायालय को संतुष्ट करता है कि वह अपील करना चाहता है, तो उच्च न्यायालय उप-विभाग (2) द्वारा प्रदान की गई सभी या किसी भी शक्तियों का भी प्रयोग कर सकता है।

(4) उप-धारा (1) के अंतर्गत अपील निम्नानुसार दायर की जाएगी—

(a) उच्च न्यायालय की बेंच के समक्ष अपील के मामले में, अपील किए गए आदेश की तिथि से तीस दिनों के भीतर;

(b) सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील के मामले में, अपील किए गए आदेश की तिथि से साठ दिनों के भीतर।

साधारण पठन से यह स्पष्ट होता है कि धारा 19 के अंतर्गत अधिकारपूर्वक अपील उस किसी भी आदेश या निर्णय के विरुद्ध की जा सकती है, जो उच्च न्यायालय ने अपमान अपराध के दंड देने के अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पारित किया हो। दूसरे शब्दों में, यदि उच्च न्यायालय अपमान के दंड के प्रयोग में अपना अधिकारशाली आदेश पारित करता है, तभी अधिनियम की धारा19(1) के अंतर्गत अपील योग्य ठहरती है। चूंकि धारा19(1) में "किसी भी आदेश" के

विरुद्ध अपील का प्रावधान है, इससे ऐसी छाप बनती है कि अपील उच्च न्यायालय द्वारा अपमान संबंधी कार्यवाही में पारित किसी भी आदेश के विरुद्ध दी जा सकती है। परन्तु "किसी भी आदेश" शब्दों को उसी 'निर्णय' के साथ पढ़ना आवश्यक है, जो उच्च न्यायालय ने अपमान के दंडात्मक अधिकार का प्रयोग करते हुए पारित किया हो। "किसी भी आदेश" स्वतंत्र नहीं, बल्कि 'निर्णय' के वैकल्पिक रूप में रखा गया है —या तो 'आदेश' या 'निर्णय'—तथा दोनों ही मामलों में यह अवमानना के दंडात्मक स्वरूप का ही होना चाहिए। यदि "किसी भी आदेश" को 'निर्णय' से अलग पढ़ लिया जाए, तो धारा19(1) के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा अपमान प्रकरण में पारित किसी भी अंतरिम आदेश के विरुद्ध भी अपील स्वीकृत हो जाएगी, जो कि एक हास्यास्पद परिणाम को जन्म देगा।

8. निजी उत्तरदाता संख्या 5 व 6 के वरिष्ठ अधिवक्ता ने, वर्तमान प्रकरण में दायर जबाबी हलफनामा का संदर्भ देते हुए, प्रस्तुत किया है कि दिनांक 19.09.2023 का विवादित आदेश किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं है तथा इसमें इस माननीय न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है; और जहाँ तक दिनांक 26.11.2019 के आदेश का प्रश्न है, वह स्वयं पटना मंडल के सह–निरीक्षक जनरल द्वारा प्रस्तुत विस्तृत जांच रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें पक्षकारों को अभिलेखों में सामग्री प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था। यह कहा गया है कि बाल विकास विद्यालय, सासाराम की स्थापना लायंस क्लब ऑफ सासाराम द्वारा वर्ष 1975 में की गई थी। लायंस क्लब ऑफ सासाराम ने विद्यालय के संचालन को औपचारिक रूप देने के उद्देश्य से एक समिति (सोसाइटी) गठित करने का निर्णय लिया ताकि बाल विकास विद्यालय, सासाराम का विधिवत संचालन किया जा सके। तदनुसार, बाल विकास विद्यालय,

सासाराम नामक समिति गठित की गई और उसे दिनांक 05.06.1984 को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अधीन पंजीकृत कराया गया। पंजीकृत उपविधियों में यह विशेष रूप से उल्लेखित है कि लायंस क्लब ऑफ सासाराम ही बाल विकास विद्यालय, सासाराम का मुख्य प्रवर्तक है तथा यह विद्यालय "लायंस स्पॉन्सर्ड स्कूल" के रूप में चिन्हित है। पंजीकृत मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के धारा 9(1) के अनुसार, बाल विकास विद्यालय समिति की प्रबंध समिति के कुल 11 सदस्य थे और वे सभी लायंस क्लब ऑफ सासाराम के सदस्य थे। विद्यालय के नियम व विनियमों को भी औपचारिक रूप प्रदान करते हुए, इन्हें विद्यालय के उपनियम के रूप में पंजीकृत कराया गया था। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों को आजीवन सदस्य घोषित किया गया था तथा उन्हें "संस्थापक सदस्य" के रूप में नामित किया गया था। संस्थापक सदस्यों को विद्यालय के सदस्य बने रहने के लिए वार्षिक सदस्यता शुल्क अदा करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अतिरिक्त, " निगमित सदस्य" के लिए भी प्रावधान किया गया था, जो संस्थागत (शैक्षिक/सांस्कृतिक) प्रकृति के होंगे, तथा गैर-शैक्षिक/सांस्कृतिक संस्थाओं को भी निगमित सदस्यता प्रदान करने की अनुमति थी। ऐसा कहा गया है कि लायंस क्लब, सासाराम को "प्रधान प्रवर्तक" एवं साथ ही "संस्थापक सदस्य" के रूप में मान्यता प्राप्त थी तथा उसे केवल ₹10,000/- की प्रारंभिक दान राशि देनी थी। यह भी कहा गया है कि यद्यपि लायंस क्लब, सासाराम को निगमित सदस्य के रूप में नामित किया गया था, फिर भी उसकी स्थिति संस्थापक सदस्य की ही थी और वह संस्थापक सदस्य के सभी अधिकारों व विशेषताओं के साथ स्थायी रूप से बनी रहनी थी। यह कहा गया है कि ₹10,000/- की जमा

राशि देने की आवश्यकता के विपरीत, लायंस क्लब ऑफ सासाराम ने उस समय विद्यालय की स्थापना हेतु ₹1 लाख मूल्य की भूमि दान स्वरूप प्रदान की थी। इसमें शामिल है कि लायंस क्लब ऑफ सासाराम ने निम्नलिखित भूमि के विलेखों के आधार पर उक्त दान किया: श्री चुड्डा, राम चौरसिया की 68 डेसिमल भूमि, जो भूमि विलेख संख्या 3429, दिनांक 25.03.1982 में दर्ज है। कालिका प्रसाद साहू की 65.62 डेसिमल भूमि, जो भूमि विलेख संख्या 1464, दिनांक 26.02.1981 में दर्ज है। एक अन्य 50 डेसिमल भूमि, जो भूमि विलेख संख्या 1338, दिनांक 08.09.1983 में दर्ज है। यह कहा गया है कि इन भूमि संपत्तियों का उपयोग बाल विकास विद्यालय समिति द्वारा खरीदते ही प्रारंभ से किया जा रहा था। उपरोक्त तीनों भूमि संपत्तियाँ वर्ष 1995 में लायंस क्लब ऑफ सासाराम द्वारा बाल विकास विद्यालय समिति को दान स्वरूप प्रदान की गईं। इन दान संबंधी विलेख क्रमांक 10870, 10871 एवं 10872 दिनांक 22.08.1995 के माध्यम से दर्ज किए गए। इसके अतिरिक्त, लायंस क्लब ऑफ सासाराम ने बाल विकास विद्यालय समिति को 05.03.1985 को रसीद संख्या 14/85 के तहत ₹11,000/- और 04.07.1985 को रसीद संख्या 27/85 के तहत ₹14,000/- भी दान स्वरूप प्रदान किए। अतिरिक्त रूप से, लायंस क्लब ऑफ सासाराम को सदस्य के रूप में यह अधिकार प्राप्त था कि वह विद्यालय के माध्यम से अपने शैक्षणिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन का निर्देश दे सके, चाहे वह पूर्णतः हो या आंशिक रूप से।

9. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता जो निजी उत्तरवादी संख्या 5 एवं 6 की ओर से उपस्थित हो रहे हैं, ने आगे यह कहा कि लॉयन्स क्लब की नियंत्रक भूमिका को प्रभावी बनाने हेतु उसे "निदेशक मण्डल" में प्रधानता प्रदान की

गई, जो कि न्यूनतम 20 और अधिकतम 22 सदस्यों से युक्त होना था। इस निदेशक मण्डल में 11 "संस्थापक सदस्य" होने थे और विशेष रूप से यह स्पष्ट किया गया था कि बोर्ड में सात अतिरिक्त निदेशक होंगे, जो कि "संस्थापक निगमित सदस्य" द्वारा नामित किए जाएंगे। "संस्थापक निगमित सदस्य" की पहचान भी विशेष रूप से "लॉयन्स क्लब ऑफ सासाराम" के रूप में स्पष्ट की गई थी। इस प्रकार, निदेशक मण्डल के 20 से 22 सदस्यों में से 11 "संस्थापक सदस्य" और सात "लॉयन्स क्लब ऑफ सासाराम" द्वारा नामित होने थे। उप-नियमों में कोई अस्पष्टता नहीं थी और सासाराम के लॉयन्स क्लब की निदेशक मण्डल में भूमिका तथा "संस्थापक सदस्यों" की भूमिका को स्पष्ट रूप से और सटीकता से व्यक्त किया गया था। बाल विकास विद्यालय सोसाइटी के पंजीकृत उप-नियमों के नियम 9(1) में निम्नलिखित प्रावधान है- "ग्यारह व्यक्ति संस्थापक सदस्यों की सूची से नामित किए जाएंगे और सात व्यक्ति संस्थापक निगमित सदस्य (अर्थात् सासाराम का लॉयन्स क्लब) द्वारा नामित किए जाएंगे और इसके आधार पर निम्नलिखित निदेशक मण्डल का गठन चुनाव द्वारा किया जाएगा, जो इस उद्देश्य के लिए बुलाए गए बैठक में किया जाएगा।" इस प्रकार, नियम 9(1) स्पष्ट रूप से कहता है कि ग्यारह संस्थापक सदस्य और सासाराम के लॉयन्स क्लब द्वारा नामित सात सदस्य मिलकर बाल विकास विद्यालय सोसाइटी के निदेशक मण्डल का गठन करते हैं। बाकी तीन से पांच निदेशक एक सरकारी अधिकारी, एक दानदाता सदस्य और एक अभिभावक के प्रतिनिधि होंगे। यह कहा गया है कि जबकि "संस्थापक सदस्य" और "निगमित संस्थापक सदस्य अर्थात् सासाराम का लॉयन्स क्लब" का कार्यकाल जीवनभर था, चयनित सदस्य प्रत्येक वर्ष के पहले बोर्ड बैठक में

नामित किए जाने थे। उप-नियम स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि सासाराम के लॉयन्स क्लब के नामित सदस्य के बीच कोई रिक्ति होने पर इसे केवल सासाराम के लॉयन्स क्लब द्वारा नए नामांकन के माध्यम से भरने का प्रावधान है। उप-नियमों में यह भी प्रावधान है कि अधिकतम तीन सह-चुने गए सदस्य होंगे और उनका कार्यकाल केवल एक वर्ष का होगा। इन सह-चयनित सदस्यों में किसी भी रिक्ति की पूर्ति निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी। सासाराम के लॉयन्स क्लब ने अपनी दिनांक 26.12.1975 की प्रस्ताव द्वारा जिलाधिकारी को विद्यालय का मुख्य संरक्षक घोषित किया था। विद्यालय को वर्ष 1995 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त हुई और "बाल विकास विद्यालय, सासाराम" को एक सोसाइटी के रूप में स्वीकार किया गया, जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत थी, जिसका प्रमाण पत्र संख्या 58/85 दिनांक 05.06.1985 है। विद्यालय सुचारु रूप से एवं उप-नियमों के अनुरूप संचालित होता रहा, जैसा कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत था, जिसमें संस्थापक सदस्यों एवं संस्थापक कॉरपोरेट सदस्य अर्थात् सासाराम के लॉयन्स क्लब की यथोचित भागीदारी थी। किंतु अचानक वर्ष 2018 से निदेशक मंडल, संस्थापक सदस्यों तथा निगमित संस्थापक सदस्य अर्थात् सासाराम के लॉयन्स क्लब की अधिसत्ता को समाप्त करने का प्रयास किया जाने लगा। विद्यालय की सफलता ही उसके लिए एक अभिशाप बन गई। संस्थापक सदस्यों में से एक, श्री जी.एन. सिंह, ने विद्यालय पर स्वयं का अधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया और इस प्रक्रिया में बाहरी व्यक्तियों को सह-निर्वाचित कर लिया तथा बाल विकास विद्यालय सोसाइटी के उप-नियमों की आवश्यकताओं की अनदेखी की।

वास्तव में विद्यालय पर नियंत्रण स्थापित करने की प्रक्रिया 09.05.2018 की बैठक से शुरू हुई, जब विद्यालय से पूर्णतः असंबंधित व्यक्तियों को, उप-नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन करते हुए, केवल इस आधार पर भाग लेने की अनुमति दी गई कि वे संस्थापक सदस्यों के कानूनी उत्तराधिकारी हैं या दाता सदस्य हैं, जबकि ऐसी कोई बैठक हुई ही नहीं थी जिसमें उन्हें विद्यालय के निदेशक मंडल का सदस्य बनाया गया हो।

10. निजी उत्तरवादी संख्या 5 एवं 6 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह भी कहा गया है कि अपील वाद संख्या 30/2019, जो राजस्व बोर्ड के समक्ष लंबित है, में श्री गोपाल नारायण सिंह द्वारा दिनांक 09.05.2018 की बैठक की कार्यवृत्त (संक्षिप्त में एम ओ एम) दो अलग-अलग स्थानों पर संलग्न की गई है—एक एआईजी, पटना डिवीजन के कार्यालय में दाखिल की गई और दूसरी आईजी निबंधन (बिहार) के कार्यालय में। विडंबना यह है कि दोनों कार्यवृत्त परस्पर मेल नहीं खातीं, बल्कि एक-दूसरे से भिन्न हैं, क्योंकि दोनों ही मनगढ़ंत हैं। उक्त कार्यवाही में सासाराम के लॉयन्स क्लब के किसी भी सदस्य को आमंत्रित नहीं किया गया था, अतः उन्होंने उसमें भाग नहीं लिया। यह भी कहा गया है कि यह बात बाद की बैठकों की कार्यवाही से स्पष्ट होती है कि कई ऐसे व्यक्ति, जो अब तक विधिवत सदस्य भी नहीं बने थे, वे निदेशक मण्डल की बैठकों में भाग ले रहे थे, जबकि उप-नियमों के अनुसार उनकी योग्यता ही नहीं थी। इसके अतिरिक्त, सासाराम के लॉयन्स क्लब को निदेशक मंडल की कार्यवाही में आमंत्रित तक नहीं किया गया। दिनांक 07.10.2018 की बैठक की कार्यवृत्त से यह देखा जा सकता है कि उक्त बैठक की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति, श्री मुनमुन सर्राफ, का नाम दाता सदस्य के रूप में शामिल किया

गया, साथ ही श्री ओमप्रकाश चौरसिया एवं श्री अमन कुमार का भी नाम जोड़ा गया। इन नामों का प्रस्ताव श्री सतीश कुमार (शिक्षाविद्) द्वारा किया गया, जो स्वयं बाहरी व्यक्ति हैं। इसके अतिरिक्त, श्री गोविंद नारायण सिंह (श्री जी.एन. सिंह के पुत्र) तथा श्री कृष्ण प्रसाद को भी सोसाइटी का सदस्य बना लिया गया, जो पूर्णतः अवैध है। यह इंगित किया गया है कि उपर्युक्त व्यक्तियों ने दिनांक 09.05.2018 की बैठक में मतदान किया, जबकि उनके पास कोई मतदान अधिकार नहीं था। अतः उक्त बैठक सहित सभी पूर्ववर्ती बैठकों के पास न तो कोई वैधानिक अधिदेश था और न ही बाल विकास विद्यालय, सासाराम के उप-नियमों के तहत कोई वैध अधिकार। परिणामस्वरूप, इन बैठकों की समस्त कार्यवाही प्रारंभ से ही शून्य है। यह कहा गया है कि श्री गोपाल नारायण सिंह को 3 वर्ष (2018-21) की अवधि के लिए एम.डी. (प्रबन्धक निदेशक) बनाया गया, जो 09.05.2018 की चुनाव प्रक्रिया पर आधारित था, जिसमें उपस्थित लोग बाल विकास विद्यालय सोसाइटी के वैध सदस्य नहीं थे। अतः, श्री गोपाल नारायण सिंह को कभी भी एम.डी. नहीं बनाया गया, और बोर्ड के पंजीकृत सदस्यों द्वारा कोई ऐसी घोषणा नहीं की गई थी। पंजीकृत उप-नियमों के अनुसार, वहाँ कोई वंशानुगत सदस्यता का प्रावधान नहीं है, इसलिए संस्थापक सदस्यों के निधन पर उनके पुत्र/कानूनी उत्तराधिकारी को सोसाइटी का सदस्य नहीं बन सकता।

11. निजी उत्तरवादी संख्या 5 और 6 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि श्री जी.एन.सिंह बाल विकास विद्यालय पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पूर्णतः अपरिचित व्यक्तियों की सहायता ले रहे थे। इस पर, बाल विकास विद्यालय के नए तथाकथित पदाधिकारियों

के रवैये से आहत होकर, सासाराम के लॉयन्स क्लब के सदस्यों ने दिनांक 20.09.2018 को बिहार के रजिस्ट्रेशन के निरीक्षक जनरल के पास विद्यालय की तथाकथित प्रबंध समिति द्वारा की जा रही अनियमितताओं के संबंध में एक शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद, बिहार के उप महानिरीक्षक ने एक जांच की शुरुआत की और पटना डिवीजन, पटना के सहायक महानिरीक्षक को जांच करने का निर्देश दिया। पटना प्रभाग के ए.आई.जी. पंजीकरण ने 18.04.2019 को अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की, इसके बाद बिहार के डी.आई.जी. पंजीकरण ने दिनांक 26.11.2019 को रोहतास के जिलाधिकारी को बाल विकास विद्यालय के चुनाव आयोजित करने का निर्देश दिया।

12. इस प्रकार, उत्तरवादी संख्या 5 और 6 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि पंजीकरण के उप महानिरीक्षक ने दिनांक 26.11.2019 को पत्र संख्या 737 द्वारा केवल जिलाधिकारी को सोसाइटी की प्रबंध समिति के चुनावों को आयोजित करने का निर्देश दिया है, जिसमें केवल वही सदस्य भाग ले सकेंगे, जो सोसाइटी के उप-नियमों के अनुसार वैध सदस्य होंगे। यह निर्देश पूरी तरह से अत्यधिक हानिरहित है और किसी भी पक्ष के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने फिर दिनांक 26.11.2019 के उक्त पत्र को, अपील संख्या 30/2019 दायर करके, राजस्व बोर्ड के समक्ष चुनौती दी थी। राजस्व बोर्ड ने अपील के निस्तारण तक सोसाइटी की प्रबंध समिति के चुनाव को स्थगित कर दिया, जैसा कि दिनांक 07.02.2020 के आदेश में किया गया। फिर भी, याचिकाकर्ता ने दिनांक 01.05.2021 के पत्र के माध्यम से 09.05.2021 को गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कक्ष में सुबह 10:30 बजे विद्यालय की प्रबंध समिति की बैठक

बुलाकर समिति के चुनाव को संपन्न कराया। विद्यालय सोसाइटी के पदाधिकारियों के चुनाव के बाद, एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचना जारी की गई। प्रधान प्रचारक लॉयन्स क्लब, सासाराम, को विद्यालय सोसाइटी की नई तथाकथित प्रबंध समिति के गठन की सूचना मिलने पर, उन्होंने तुरंत 29.05.2021 के पत्र के माध्यम से रोहतास के जिलाधिकारी को अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्हें नई प्रबंध समिति के गठन के बारे में सूचित किया गया, जिसमें अवैध और विवादित सदस्य पदाधिकारियों के रूप में शामिल थे, जबकि दिनांक 10.02.2020 का स्थगन आदेश पहले ही जारी हो चुका था। इसके साथ ही उन्होंने तथाकथित प्रबंध समिति के कार्य को रोकने के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला। इसके बाद, उत्तरवादी संख्या 6, जो कि उक्त सोसाइटी के प्रधान प्रचारक (लॉयन्स क्लब) द्वारा नामित सदस्य थे, ने 30.05.2021 के पत्र के माध्यम से सोसाइटी के वैध सदस्यों की एक तात्कालिक बैठक बुलायी। बैठक 02.06.2021 को आयोजित की गई, जिसमें उक्त सोसाइटी की एक वैध प्रबंध समिति का गठन किया गया, जो सोसाइटी के उप-नियमों के अनुसार था। इसके बाद 09.06.2021 को उक्त सोसाइटी की वैध प्रबंध समिति की एक और बैठक आयोजित की गई, जिसमें 02.06.2021 की बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

13. इस बीच, माननीय राजस्व बोर्ड ने 19.09.2023 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता की अपील खारिज कर दी, यह कहते हुए कि पंजीकरण के आई.जी. ने अंतिम आदेश पारित नहीं किया है और दिनांक 26.11.2019 का पत्र केवल नियम 18(iii) के तहत एक दिशा-निर्देश था। इसके बाद,

उत्तरवादी संख्या 6 ने 21.09.2023 के पत्र के माध्यम से रजिस्ट्रेशन के आई.जी. से चुनाव को सुचारु और निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त करने का अनुरोध किया, और 23.09.2023 तथा 07.10.2023 के पत्रों के माध्यम से रोहतास के जिलाधिकारी को निदेशक मण्डल के आदेश के बारे में सूचित किया और चुनाव जल्द से जल्द आयोजित करने का अनुरोध किया। इसके बाद, 07.06.2024 के पत्र द्वारा ए.आई.जी. पंजीकरण ने चुनाव आयोजित करने के लिए रोहतास के सब रजिस्ट्रार को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया।

14. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, जो कि उत्तरवादी संख्या 5 और 6 की ओर से उपस्थित हैं, ने यह प्रस्तुत किया है कि जब उपर्युक्त सोसाइटी के नियंत्रण को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ और उत्तरवादी संख्या 6 द्वारा शिकायत की गई, तब निबंधन विभाग ने वर्ष 2018 के नियमों के नियम 18 के अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ की। इसके उपरांत, उत्तरवादी संख्या 2 (पदेन अधिकारी) ने सहायक निबंधन निरीक्षक, पटना डिवीजन को उत्तरवादी संख्या 6 द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करने का निर्देश दिया। इस निर्देश के अनुपालन में, ए.आई.जी. पंजीकरण ने 18.04.2019 के पत्र के माध्यम से अपनी जांच रिपोर्ट डी.आई.जी. रजिस्ट्रेशन को प्रेषित की, जिसमें यह अनुशंसा की गई कि बाल विकास विद्यालय समिति के पंजीकृत सदस्यों की एक सामान्य बैठक किसी सरकारी भवन में बुलाई जाए, जिसमें संस्थापक सदस्यों के साथ-साथ लॉयन्स क्लब, सासाराम द्वारा नामित प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाए। इस बैठक की अध्यक्षता बाल विकास विद्यालय समिति के वरिष्ठ सदस्य करें और उसी बैठक में एक नई कार्यकारिणी/प्रबंध समिति का गठन किया जाए। यह संपूर्ण प्रक्रिया

सोसाइटी के पंजीकृत उप-नियमों और विधिसम्मत प्रक्रिया के अनुरूप मानी गई है, जिससे दोनों पक्षों की सहभागिता सुनिश्चित हो और विवाद का निष्पक्ष समाधान प्राप्त हो सके। उत्तरवादी संख्या 3 ने, उत्तरवादी संख्या 2 से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत, नियमावली 2018 के नियम 18(iii) के तहत दिनांक 26.11.2019 को प्रश्नगत निर्देश पारित किया, जिसके द्वारा रोहतास के जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि वे उक्त सोसाइटी का चुनाव अपने पर्यवेक्षण में कराएं और इसके लिए एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति करें।

15. निजी उत्तरवादी संख्या 5 और 6 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह कहा है कि नियम 18, 2018 के नियमों के तहत वह परिस्थितियाँ लागू होती हैं, जहाँ दो प्रतिद्वंद्वी शासी और/या कार्यकारी निकायों के अस्तित्व से उत्पन्न विवाद होता है। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में, पटना डिवीजन के ए.आई.जी. की रिपोर्ट दिनांक 18.04.2019 के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के डी.आई.जी. ने, आई.जी. पंजीकरण की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद और पक्षों के बीच किसी भी मुद्दे का निर्णय किए बिना, केवल रोहतास के जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि वे नियम 18(iii) के तहत उक्त सोसाइटी के चुनाव कराएं। इसलिए, यह कहा गया है कि आई.जी. पंजीकरण, द्वारा कोई भी निर्णय चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक स्थगित कर दिया गया है, और इसलिए उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 26.11.2019 को जारी किया गया आदेश केवल जिलाधिकारी को चुनाव कराने के लिए एक निर्देश है। इस प्रकार, यह निर्देश नियम 18(iii) के तहत जारी किया गया है, और इसे नियम 22 के तहत अपील नहीं किया जा सकता, क्योंकि नियम 18(iii) के तहत कोई भी

निर्देश पक्षों के बीच किसी मुद्दे का समाधान नहीं करता है, अतः यह "आदेश" के अंतर्गत नहीं आता, जो अपील योग्य हो, क्योंकि "आदेश" को अपील योग्य बनाने के लिए उसे पक्षों के बीच मुद्दों का निर्णय करना आवश्यक है। इस संबंध में, याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित माननीय वरिष्ठ अधिवक्ता ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***अरुण कुमार अग्रवाल बनाम मध्यप्रदेश राज्य (2014) 13 एससीसी 707*** के मामले में दी गई एक निर्णय का संदर्भ दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि अदालत द्वारा जारी किए गए निर्देश एक प्रकार का आदेश या प्राधिकृत निर्देश होते हैं, जो उस व्यक्ति द्वारा एक निश्चित कर्तव्य या कार्य के प्रदर्शन की अपेक्षा करते हैं, जिस पर यह निर्देश जारी किया गया हो। यह निर्देश विशिष्ट, सरल, स्पष्ट, न्यायपूर्ण और उचित होना चाहिए, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर हो, लेकिन इसे अस्पष्ट या व्यापक नहीं होना चाहिए। यह उचित होगा कि नीचे दिए गए पैरा संख्या 19 से 23 को यहाँ पुनः उद्धृत किया जाए:-

> *"19. ब्लैक लॉ डिक्शनरी (9 वीं संस्करण, 2009) में "निर्देश" शब्द को एक आदेश के रूप में परिभाषित करता है; यह निर्देश कि किस प्रकार से कार्य किया जाए।*
>
> *20. "निर्देश" शब्द का अर्थ कॉर्पस ज्यूरिस सेकंडम, वॉल्यूम 26-A, पृष्ठ 955-56 पर इस प्रकार व्याख्यायित किया गया है:*
>
> > *निर्देश' शब्द का सामान्य रूप से प्रयोग होता है, और इसका अर्थ होता है शासन करने, आदेश देने, या नियंत्रण करने की क्रिया; निर्देश देने की क्रिया, परिस्थितियों के अनुसार निर्देश देने का अधिकार; मार्गदर्शन; प्रबंधन; निरीक्षण; 'निर्धारण; साथ ही एक आदेश, निर्देश, आदेश — मौखिक या लिखित रूप में*

या कृत्यों द्वारा संकेतित आदेश; वह जो निर्देशन के माध्यम से आरोपित हो, एक मार्गदर्शक या अधिकारपूर्ण निर्देश; कार्यविधि की जानकारी।"

21. पी. रामनाथ अय्यर के एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन (संस्करण 3, 2005) के अनुसार "निर्देश" शब्द का अर्थ है: पत्र का पता, आदेश या वह निर्देश कि किसी को क्या करना है। एक निर्देश स्थानों के साथ-साथ व्यक्तियों की ओर भी निर्देशित कर सकता है। निर्देश में अधिकांशतः किसी कार्यविधि का विवरण होता है और इसका पालन किया जाना चाहिए। उन व्यक्तियों को निर्देश देना आवश्यक होता है जो स्वयं के लिए कार्य करने में असमर्थ होते हैं। सेवकों को दिए गए निर्देश स्पष्ट, सरल और सटीक होने चाहिए।"

22. वड्र्स एंड फ्रेज़ेस, परमानेंट एडिशन, वॉल्यूम 12-ए के अनुसार, "निर्देश" शब्द का अर्थ है — एक मार्गदर्शक या अधिकारयुक्त निर्देश, निर्धारण, आदेश या आज्ञा।

23. संक्षेप में कहा जाए तो, न्यायालय द्वारा जारी किया गया निर्देश एक आदेश या अधिकारपूर्ण निर्देश के स्वरूप में होता है, जो उस व्यक्ति से किसी विशेष कर्तव्य या कार्य के निष्पादन की अपेक्षा करता है, जिस पर यह निर्देश लागू होता है। ऐसा निर्देश तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर स्पष्ट, सरल, सीधा, न्यायोचित और उचित होना चाहिए — परंतु यह अस्पष्ट या अत्यधिक व्यापक नहीं होना चाहिए।

16. इस प्रकार, निजी उत्तरवादी संख्या 5 एवं 6 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि दिनांक 26.11.2019 का उपर्युक्त पत्र मात्र एक निर्देश है, जो जिलाधिकारी को नियम, 2018 के नियम 18(iii) के अंतर्गत निर्वाचन कराए जाने हेतु दिया गया है, अतः यह ऐसा आदेश नहीं है जिसके विरुद्ध नियम, 2018 के नियम 22 के अंतर्गत अपील की जा सके। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए

निर्णय एस बी मिनेरल्स बनाम एम.एस.पी.एल लि0 **(2010) 12** एससीसी **24** में पारित आदेश का हवाला भी दिया है, ताकि यह निवेदन किया जा सके कि द्वितीय अपील को स्वीकृत किए जाने का आदेश न तो अंतिम आदेश होता है और न ही कोई अंतरिम/अंतरवर्ती आदेश, और ऐसे आदेश जिनमें कोई मुद्दा निष्पादित नहीं होता, उनके विरुद्ध विशेष अनुमति याचिकाएं विचारणीय नहीं होतीं। इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक अन्य निर्णय श्याम सेल एवं पावर लि0 एवं अन्य बनाम श्याम स्टील इंडस्ट्रीज़ लि0 **(2013) 1** एससीसी **634** का भी हवाला दिया गया है, जिसके पारा संख्या 22 से 25 को नीचे उद्धृत किया जा रहा है :-

> *"22. अतः यह देखा जा सकता है कि न्यायमूर्ति एस. मुर्तज़ा फज़ल अली तथा न्यायमूर्ति ए.एन. सेन द्वारा शाह बाबूलाल खिमजी बनाम जयाबेन डी. कानिया,* ***[(1981) 4*** *एससीसी* ***8]*** *में दिए गए दोनों निर्णयों में एक सामान्य विचारधारा है कि यह तय करना कि किसी आदेश को लैटर्स पेटेंट के क्लॉज़ 15 के तहत 'निर्णय' माना जा सकता है या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। हालांकि, किसी आदेश को 'निर्णय' के रूप में परिभाषित करने के लिए उसमें अंतिमता के गुण एवं लक्षण होने चाहिए। ऐसे आदेश को 'निर्णय' की श्रेणी में लाने के लिए वह आदेश पक्षकारों के महत्वपूर्ण और मूल्यवान अधिकारों को प्रभावित करता हो, तथा संबंधित पक्ष के साथ गंभीर अन्याय करता हो। मुकदमे की कार्यवाही के दौरान न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक आदेश, भले ही वह किसी एक पक्ष के लिए असुविधाजनक हो या किसी सीमा तक पूर्वग्रहपूर्ण प्रतीत हो, उसे 'निर्णय' नहीं कहा जा सकता। यदि ऐसा माना जाने लगे, तो एकल न्यायाधीश के आदेशों के विरुद्ध अपीलों का बाढ़ का द्वार खुल जाएगा।*

23. इस अवलोकन की रोशनी में, हमें यह विचार करना होगा कि क्या माननीय एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 2-4-2019 को पारित आदेश श्याम सेल एवं पावर लि0 एवं अन्य बनाम श्याम स्टील इंडस्ट्रीज़ लि0 2019 एससीसी ऑनलाइन कल 9130] को लैटर्स पेटेंट के क्लॉज़ 15 के अर्थ में "निर्णय" के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

24. माननीय एकल न्यायाधीश ने उक्त आदेश द्वारा किया, वह यह था कि उन्होंने अपीलकर्ता-प्रतिवादियों को विपक्षी हलफनामे दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया और अंतरिम निषेधाज्ञा देने के मुद्दे को तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मान्यवर एकल न्यायाधीश ने एक स्थान पर यह अवलोकन किया था कि प्रारंभिक रूप से उनका विचार था कि चूंकि "श्याम" अपीलकर्ता-प्रतिवादियों के व्यापारिक नाम का हिस्सा है, इसलिए अपीलकर्ता-प्रतिवादियों को उक्त शब्द "श्याम" को उनके पैकेजिंग पर उपयोग करने से रोकने के लिए कोई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जानी चाहिए, लेकिन उसी आदेश में, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जो भी अवलोकन उन्होंने उक्त आदेश में किए थे, वे केवल प्रारंभिक स्तर पर अंतरिम आदेश पारित करने के उद्देश्य से थे और जब हलफनामे का आदान-प्रदान हो जाएगा और उस आवेदन पर विचार और निर्णय लिया जाएगा, तब उन अवलोकनों का कोई महत्व नहीं होगा।

25. इस प्रकार देखा जा सकता है कि आदेश वास्तव में यह प्रश्न स्थगित करने के रूप में था कि क्या उत्तरवादी -वादी को अंतरिम निषेधाज्ञा देने का अधिकार था या नहीं, और वह भी केवल तीन सप्ताह के लिए। आदेश केवल अपीलकर्ता-प्रतिवादियों को दो सप्ताह के भीतर अपना विपक्षी हलफनामा दाखिल करने का अवसर दे रहा था। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया कि समय विस्तार के लिए कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। इसलिए, माननीय एकल न्यायाधीश ने उत्तरवादी -वादी द्वारा अंतरिम निषेधाज्ञा देने के लिए की गई प्रार्थना पर विचार करने के मुद्दे को केवल तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया, और यह भी केवल अपीलकर्ता-प्रतिवादियों को अपना हलफनामा दाखिल

करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किया। इस प्रक्रिया में उत्तरवादी -वादी के हितों की भी रक्षा की गई, क्योंकि अपीलकर्ता-प्रतिवादियों को उनके उत्पादों की विक्रय के साप्ताहिक लेखा-जोखा रखने का निर्देश दिया गया, जो "श्याम" चिह्न के तहत बेचे गए थे।

17. निजी उत्तरदाता संख्या 5 एवं 6 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि वर्तमान मामले में, उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 26.11.2019 को जारी किया गया पत्र एक अंतिम आदेश के रूप में नहीं माना जा सकता, जबकि नियम स्वयं स्पष्ट है, जो यह बताता है कि आई.जी., पंजीकरण को नियम 18 के तहत उल्लिखित तीनों धाराओं का पालन करने के बाद ही अंतिम आदेश पारित करना होगा। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शाह बाबूलाल खिमजी बनाम जयाबेन डी. कानिया और अन्य, [(1981) 4 एससीसी 8] मामले में दिए गए निर्णय का भी हवाला दिया है, जिसके अनुच्छेद संख्या 119 को यहां नीचे उद्धृत किया जा रहा है:

"119. सर व्हाइट, मुख्य न्यायाधीश द्वारा निर्धारित परीक्षणों के अलावा, निम्नलिखित विचार अदालत को ध्यान में रखना चाहिए:

(1) यह कि न्यायालय का विचरण न्यायधीश, जो विभिन्न विधिक शाखाओं का व्यापक अनुभव रखने वाला एक वरिष्ठ न्यायालय होता है और जो बहुत उच्च स्तर पर स्थित होता है, को उचित रूप से विश्वास करना चाहिए कि वह न्यायिक विवेकाधिकार या अंतरवर्ती आदेश पारित करते समय नागरिक न्याय के अच्छे से स्थापित सिद्धांतों का ध्यान रखेगा। इस प्रकार, किसी भी न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग या मुकदमे की प्रक्रिया के दौरान न्यायालय द्वारा पारित नियमित आदेश, जो एक पक्ष या दूसरे पक्ष के लिए कुछ असुविधा या, कुछ हद तक, पूर्वग्रहपूर्ण परिणाम उत्पन्न कर सकते हैं, उसे 'निर्णय' के रूप में नहीं माना जा सकता; अन्यथा, अपीलीय न्यायालय (खंड पीठ) पर परीक्षण न्यायधीश द्वारा पारित सभी प्रकार के आदेशों के खिलाफ अपीलों की बाढ़ आ जाएगी। न्यायालयों को परीक्षण न्यायधीश को पर्याप्त छूट देनी चाहिए और यह धारणा बनानी चाहिए कि उसने जो भी

न्यायिक आदेश पारित किया है, वह सही माना जाएगा, जब तक कि वह स्पष्ट रूप से कानूनी रूप से गलत या गंभीर और महत्वपूर्ण अन्याय का कारण न हो।

(2) यह कि अंतरवर्ती आदेश को 'निर्णय'माना जाने के लिए उसमें अंतिमता के गुण और लक्षण होने चाहिए—चाहे वह आदेश सहायक कार्यवाही में विवादित प्रश्नों का निपटारा करे, या स्वयं मामले में, या प्रक्रिया के किसी भाग में।

(3) सर व्हाइट, सी. जे. और सर काउच, सी. जे. द्वारा निर्धारित परीक्षण, जिन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय के बाद के निर्णयों द्वारा संशोधित किया गया है, जिन पर हमारे द्वारा विस्तृत रूप से विचार किया गया है, को ध्यान में रखा जाना चाहिए।"

18. निजी उत्तरदाता संख्या 5 एवं 6 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे यह तर्क प्रस्तुत किया है कि "आदेश" की परिभाषा दिवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(14) में इस प्रकार दी गई है "आदेश का अर्थ है सिविल न्यायालय के किसी निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति, जो डिक्री नहीं है।" इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया है कि किसी आदेश को अपील योग्य बनने के लिए वह एक औपचारिक अभिव्यक्ति होना चाहिए, वह एक निर्णय होना चाहिए, निर्णय को किसी मुद्दे को निष्कर्ष रूप से हल करना चाहिए और उसे एक पक्ष के महत्वपूर्ण अधिकार को प्रभावित करना चाहिए। हालांकि, वर्तमान मामले में दिनांक 26.11.2019 का पत्र इन में से किसी भी तत्व को नहीं धारण करता जिसे आदेश कहा जा सके, अतः नियम 22, 2018 के तहत अपील दायर नहीं की जा सकती। जहाँ तक उक्त दिनांक 26.11.2019 के पत्र का प्रश्न है, वह एक मंत्रिस्तरीय कार्य है और उसमें किसी भी प्रकार का विवेकाधीन निर्णय शामिल नहीं है। इस संदर्भ में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय का हवाला दिया गया है, जो ***जे वाई कोंडाला राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, [1960 एससीसी ऑनलाइन एससी 66]*** के मामले में पारित हुआ था, जिसमें यह निर्णय दिया गया कि कुछ कार्य मंत्रिस्तरीय प्रकृति के होते हैं और केवल यांत्रिक रूप से दैनिक प्रशासन के दौरान किए

जाते हैं। इस संदर्भ में, मान्यवर वरिष्ठ अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक अन्य निर्णय का हवाला दिया है, जो ***एडुकांति किस्तम्मा (मृत) एल.आर.एस. के माध्यम से बनाम एस. वेंकटरेड्डी (मृत) एल.आर.एस. के माध्यम से एवं अन्य, [(2010) 1 एससीसी 756]*** मामले में पारित हुआ था। अंततः, उत्तरवादी संख्या 5 और 6 के निजी अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया है कि पंजीकरण विभाग ने अपने हलफनामे में, जो उसने मान्यवर बोर्ड ऑफ रिवेन्यू के समक्ष दायर किया था, यह कहा है कि आई.जी., पंजीकरण ने नियम 18, 2018 के अनुसार अभी तक कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया है, इसलिए उत्तरवादी संख्या 6 द्वारा दिनांक 20.09.2018 को उठाया गया मुद्दा अब तक अंतिम रूप से निपटाया नहीं गया है। और उक्त विवादित निर्देश दिनांक 26.11.2019 से याचिकाकर्ता को कोई कारण नहीं मिलता है जिससे वह इस पर रोक लगाने या इसे चुनौती देने का प्रयास कर सके। इसलिए, नियम 22, 2018 के तहत "आदेश" के तत्वों के अभाव में, उत्तरवादी संख्या 2 द्वारा जारी किया गया पत्र दिनांक 26.11.2019 अपील योग्य नहीं है, और इस प्रकार याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई अपील को बिहार राज्य बोर्ड ऑफ रिवेन्यू के अध्यक्ष ने 19.09.2023 के आदेश द्वारा सही तरीके से खारिज कर दिया। अतः, वर्तमान रिट याचिका खारिज किए जाने योग्य है।

19. मैंने पक्षकारों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता/अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना है तथा अभिलेखों पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है। तथ्य सीमित परिधि में निहित हैं, क्योंकि दिनांक 20.09.2018 को उत्तरवादी संख्या 6 द्वारा पंजीकरण विभाग, बिहार, पटना के महानिरीक्षक, पंजीकरण (उत्तरवादी संख्या 2) के समक्ष एक शिकायत दायर की गई थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उक्त विद्यालय की प्रबंध समिति द्वारा अनियमितताएँ की जा रही हैं, जिनमें बाहरी व्यक्तियों द्वारा की जा रही वित्तीय अनियमितताएँ भी शामिल थीं। इस शिकायत के आलोक में, पंजीकरण के उपमहानिरीक्षक, अर्थात उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा पटना प्रमंडल, पटना के सहायक महानिरीक्षक, पंजीकरण को जांच करने का निर्देश दिया गया, जिसके पश्चात दिनांक 18.04.2019 को एक जांच प्रतिवेदन पटना प्रमंडल, पटना के सहायक

महानिरीक्षक, पंजीकरण द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके पश्चात, उत्तरवादी संख्या 3 ने दिनांक 06.09.2019 को याचिकाकर्ता तथा उत्तरवादी संख्या 6 को एक प्रश्नावली के लिए पैरा-वार उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा, जिसके बाद उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा दिनांक 26.11.2019 को मेमो संख्या 737 जारी किया गया, जो रोहतास जिला अधिकारी, सासाराम को संबोधित था। इस पत्र में यह कहा गया कि बाल विकास विद्यालय समिति के चुनाव को आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है, जिसमें केवल वैध सदस्य ही भाग लेंगे। उक्त दिनांक 26.11.2019 के पत्र को याचिकाकर्ता द्वारा अपील संख्या 30/2019 दायर कर राजस्व बोर्ड, पटना के अध्यक्ष-सह-सदस्य के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसे दिनांक 10.02.2020 को स्वीकृत किया गया तथा उक्त पत्र द्वारा चुनाव कराने हेतु दिए गए निर्देश पर स्थगनादेश जारी किया गया। अंततः, राजस्व बोर्ड, पटना के अध्यक्ष-सह-सदस्य द्वारा दिनांक 19.09.2023 को उक्त अपील का निपटारा कर दिया गया और यह अवलोकन किया गया कि पंजीकरण के उपमहानिरीक्षक (उत्तरवादी संख्या 3) द्वारा जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम को लिखा गया दिनांक 26.11.2019 का पत्र केवल एक निर्देश है, जो कि नियम 18(iii), नियमावली 2018 के तहत चुनाव कराने से संबंधित है। यह पत्र एक अंतरिम आदेश है, न कि अंतिम आदेश, अतः इसे नियम 22, नियमावली 2018 के तहत अपील योग्य नहीं माना जा सकता। दिनांक 19.09.2023 को राजस्व बोर्ड, बिहार, पटना द्वारा पारित उक्त आदेश तथा उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा निर्गत उपरोक्त पत्र दिनांक 26.11.2019, दोनों ही आदेश वर्तमान रिट याचिका में चुनौती के अधीन हैं।

20. इस मोड़ पर, नियम 18 और नियम 22, नियमावली 2018 को यहां पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा:-

> *18. यदि समाज के दो प्रतिद्वंद्वी शासी और/या कार्यकारी निकायों के अस्तित्व को लेकर विवाद उत्पन्न होता है, तो IG निम्नलिखित कर सकता है –*

(i) जिलाधिकारी से स्वयं या उनके अधीनस्थ किसी अधिकारी के माध्यम से जांच कराने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है, और/या

(ii) सभी प्रतिद्वंद्वी निकायों को आमंत्रित कर मामले की व्यक्तिगत सुनवाई कर सकता है, और/या

(iii) आईजी, पंजीकरण द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक की उपस्थिति में शासी और/या कार्यकारी निकाय का पुनः चुनाव कराने का कारण बना सकता है।

उपरोक्त कदमों से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर, IG उचित आदेश पारित करेगा जो मामले का निपटारा करेगा।

***22.** समीक्षा और अपील:-*

(i) पंजीकरण आईजी इन नियमों के तहत अपने द्वारा पारित किसी भी आदेश की समीक्षा करने के योग्य होगा, बशर्ते कि नए तथ्य और जानकारी उसकी जानकारी में लाई जाए।

(ii) इन नियमों के तहत पंजीकरण आईजी द्वारा पारित सभी आदेश राजस्व बोर्ड के सदस्य के समक्ष अपील योग्य होंगे, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

21. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 26.11.2019 को पंजीकरण के उपमहानिरीक्षक (समिति और फर्म पंजीकरण), पंजीकरण विभाग, पटना (उत्तरवादी संख्या 3) द्वारा पारित/जारी किया गया आदेश/पत्र पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि उक्त आदेश न्यायिक अधिकारियों के पास निर्धारित अधिकारों के अनुसार नहीं पारित किया गया है। नियम 18, नियमावली 2018 के अनुसार केवल पंजीकरण विभाग के महानिरीक्षक, बिहार, पटना (उत्तरवादी संख्या 2) को ही उपयुक्त आदेश पारित करने का अधिकार है। हालांकि, इस अदालत को फाइल के नोटशीट से यह जानकारी प्राप्त होती है, जिसे पक्षकारों के अधिवक्ता द्वारा इस अदालत को सौंपा गया है, कि पंजीकरण के उपमहानिरीक्षक

(उत्तरवादी संख्या 3) ने समिति के चुनाव को पर्यवेक्षक की उपस्थिति में कराए जाने के संदर्भ में एक नोट के साथ फाइल को पंजीकरण विभाग के महानिरीक्षक (उत्तरवादी संख्या 2) के समक्ष स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया था, और पंजीकरण विभाग के महानिरीक्षक (उत्तरवादी संख्या 2) ने इसे 21.11.2019 को मंजूरी दी थी। इसके बाद, बाल विकास विद्यालय समिति, सासाराम के चुनाव को आयोजित करने के आदेशों के उद्देश्य से एक मसौदा आदेश तैयार किया गया और उसे पंजीकरण विभाग के महानिरीक्षक, बिहार, पटना (उत्तरवादी संख्या 2) द्वारा 25.11.2019 को चर्चा और स्वीकृति के लिए मंजूरी दी गई। इसके बाद, मेमो संख्या 737, दिनांक 26.11.2019 में लिखा गया पत्र जिला मजिस्ट्रेट, रोहतास, सासाराम को भेजा गया, जिसमें उन्हें यह आदेश दिया गया कि वे बाल विकास विद्यालय समिति का चुनाव आयोजित करें, जिसमें केवल वैध सदस्य ही भाग लेंगे। इस प्रकार, इस न्यायालय ने पाया कि पहले, मेमो संख्या 737, दिनांक 26.11.2019 में जारी किया गया निर्देश उक्त नोटशीट में आदेश के रूप में व्यक्त किया गया है और दूसरे, यह केवल पंजीकरण विभाग के महानिरीक्षक, बिहार, पटना (उत्तरवादी संख्या 2) द्वारा अनुमोदित आदेश का संचार है। उक्त नोटशीट को याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा चुनौती नहीं दी गई है, जिसे यहां नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

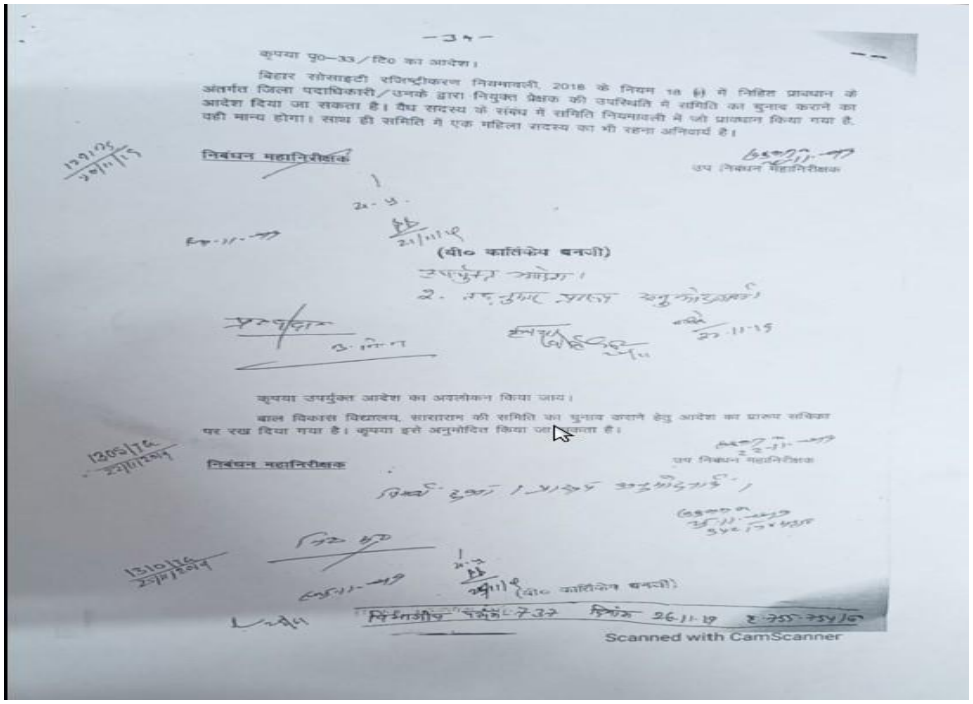

22. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह विवेकपूर्ण से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दिनांक 26.11.2019 को जारी किया गया पत्र केवल पंजीकरण विभाग के महानिरीक्षक, बिहार, पटना (उत्तरवादी संख्या 2) द्वारा अनुमोदित होने के बाद, साथ ही मसौदा आदेश की स्वीकृति के बाद, उक्त समिति के चुनाव के आयोजन के संबंध में संचारित किया गया था। अतः, दिनांक 26.11.2019 के पत्र में निहित निदेश को पंजीकरण के महानिरीक्षक, बिहार, पटना (उत्तरवादी संख्या 2) का निर्णय माना जाएगा। इस पृष्ठभूमि में, यह स्पष्ट होता है कि नियम 18 में यह प्रावधान है कि यदि किसी संस्था की दो प्रतिद्वंद्वी शासी और/या कार्यकारी समितियों के अस्तित्व को लेकर विवाद उत्पन्न होता है, तो महानिरीक्षक तीन विकल्पों में से किसी एक को अपना सकते हैं। नियम 18(iii) के तहत, महानिरीक्षक, पर्यवेक्षक की उपस्थिति में पुनः चुनाव कराने का निर्देश दे सकते हैं। वर्तमान मामले में, महानिरीक्षक ने नियम 18(iii) में निहित विकल्प को अपनाते हुए जिला पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम को निर्देशित किया है कि वे उक्त समिति का चुनाव पर्यवेक्षक की उपस्थिति में कराएं। उपरोक्त 26.11.2019 के आदेश से यह स्पष्ट है कि, पहली बात तो यह है कि इसमें उक्त समिति के पुनः चुनाव के आयोजन के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है, और दूसरी बात यह है कि यह आदेश अंतिम आदेश के रूप में है, जो निश्चित रूप से दो प्रतिद्वंद्वी शासी और/या कार्यकारी समितियों के अस्तित्व से उत्पन्न विवाद का निपटारा करता है। अतः यह आदेश याचिकाकर्ता के अधिकारों और दायित्वों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। यह एक स्थापित सिद्धांत है कि कोई आदेश अंतिम होता है यदि वह विवाद में पक्षों के अधिकारों से संबंधित एक अंतिम निर्णय होता है। इसके संदर्भ में, माननीय सर्वोच्च

न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख किया जा सकता है, जैसे कि ***मेसर्स जेठानन्द एंड संस बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (एआईआर 1961 एससी 794)।*** ***नियम 22 (ii), 2018*** के तहत यह कहा गया है कि इन नियमों के तहत पारित सभी आदेशों को राजस्व बोर्ड के सदस्य के समक्ष अपील की जा सकती है। अतः, उपरोक्त आदेश 26.11.2019 में, जो दो प्रतिद्वंद्वी शासी और/या कार्यकारी समितियों के अस्तित्व से उत्पन्न विवाद के समाधान के रूप में इंस्पेक्टर जनरल का अंतिम निर्णय है, वह राजस्व बोर्ड के सदस्य के समक्ष अपील योग्य होगा।

23. यह भी एक स्थापित सिद्धांत है कि जब अपीलीय न्यायालय की संरचना व्यापक शब्दों में की गई हो और विधायिका ने अपनी न्यायिक सीमा को सीमित नहीं किया हो, जैसा कि यहाँ पर है, तो इंस्पेक्टर जनरल, रजिस्ट्रेशन द्वारा पारित सभी आदेशों को राजस्व बोर्ड के सदस्य के समक्ष अपील की जा सकती है। इस संदर्भ में, पेटीशनर के वरिष्ठ वकील द्वारा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला दिया गया है, जैसे कि ***एब्राहिम अबूबकर एवं अन्य (उपरोक्त), शिउर साखर कारख़ाना प्रा लि0 (उपरोक्त), और नेल्सन मोटिस (उपरोक्त)*** के मामलों में, यह बिल्कुल सही है। इसलिए, इस न्यायालय ने पाया कि बिहार राज्य के राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष-सह-सदस्य, पटना ने 19.09.2023 को पंजीकरण मामला संख्या 30/2019 में विवादित आदेश पारित करते समय एक गंभीर गलती की है और यह माना कि 26.11.2019 के पत्र में उल्लिखित समिति के चुनाव करने के लिए निर्देश एक अंतरिम आदेश है और अंतिम आदेश नहीं है, इसलिए इसे नियम 22, 2018 के तहत अपील योग्य नहीं माना जा सकता। जहां तक राज्य के लिए माननीय अधिवक्ता द्वारा उद्धृत न्यायालय

के निर्णय, जो ***महबूब एस. अलीभॉय और अन्य (उपरोक्त)*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था, का सवाल है, न्यायालय यह पाता है कि उक्त निर्णय पर निर्भरता गलत है, क्योंकि उस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो विचार कर रहा था, वह 1971 के अदालत अवमानना अधिनियम की धारा 19 थी, जो स्वयं यह मान्यता देती है कि किसी भी आदेश या निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय के अवमानना की सजा देने की अधिकारिता का उपयोग करते समय अपील का अधिकार है, यानी इसका मतलब यह है कि यदि उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को अदालत का अवमानना करने के लिए दंडित करने के अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए कोई आदेश पारित करता है, तो केवल तब ही अवमानना अधिनियम की धारा 19 के उपधारा (1) के तहत अपील की जा सकती है। हालांकि, वर्तमान मामले में यह स्थिति नहीं है, क्योंकि नियम 22 (ii) के तहत, 2022 के नियमों में कोई प्रतिबंध नहीं है और अपीलीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को न तो सीमित किया गया है और न ही यह यह निर्दिष्ट करता है कि किन आदेशों की अपील की जा सकती है, जबकि नियम 22(ii) के तहत, 2018 के नियमों में यह निर्धारित किया गया है कि पंजीकरण महानिरीक्षक, द्वारा पारित किए गए सभी आदेशों के खिलाफ अपील की जा सकती है।

24. अब, उत्तरवादी संख्या 5 और 6 के लिए उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उद्धृत न्यायालय के निर्णय, जो ***अरुण कुमार अग्रवाल (उपरोक्त)*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया था, के संबंध में, न्यायालय यह पाता है कि इस सिद्धांत पर कोई दो राय नहीं हो सकते कि न्यायालयों द्वारा जारी किया गया निर्देश आदेश या प्राधिकृत

निर्देश के रूप में होता है, जो उस व्यक्ति द्वारा कुछ कर्तव्यों या कार्यों के निष्पादन की अपेक्षा करता है, जिस पर यह जारी किया गया हो, और यह कि शब्द 'निर्देश' का अर्थ है एक मार्गदर्शक या प्राधिकृत निर्देश, चिकित्सा, आदेश, या आधिकारिक निर्देश। जहां तक ***एस. बी. मिनरल्स (उपरोक्त)*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पर निर्भरता का सवाल है, यह वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में भिन्न है, क्योंकि वर्तमान मामला द्वितीय अपील को स्वीकार करने के आदेश से संबंधित नहीं है और इसके अतिरिक्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त मामले में यह कहा है कि विशेष अनुमति याचिकाएं ऐसे आदेशों के खिलाफ नहीं सुनी जानी चाहिए जो किसी मुद्दे का निर्णय नहीं करतीं, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विशेष अनुमति याचिकाएं वैधानिक अपील नहीं हैं, बल्कि यह भारत संघ के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विवेकाधीन शक्ति का हिस्सा हैं, जो किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा भारत के क्षेत्र में किसी भी निर्णय, आदेश, सजा या आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने का अधिकार रखता है। जहां तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***श्याम सेल & पावर लिमिटेड एवं अन्य (उपरोक्त)*** और ***शाह बाबुलाल खिमजी (उपरोक्त)*** के मामलों में दिए गए निर्णयों का सवाल है, जिनका उल्लेख उत्तरवादी संख्या 5 और 6 के लिए उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा किया गया है, न्यायालय यह पाता है कि ये भी वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में भिन्न हैं।

25. अब, उत्तरवादी संख्या 5 और 6 के लिए उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उठाए गए दूसरे तर्क पर आते हैं, जिसमें कहा गया कि

आदेश, जैसा कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(14) के तहत परिभाषित किया गया है, किसी भी निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है जो एक सिविल न्यायालय का होता है, लेकिन जो डिक्री नहीं होता है। परंतु वर्तमान मामले में, 26.11.2019 का पत्र एक मंत्रिस्तरीय कार्य है और इसमें किसी प्रकार की विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए यह 2018 के नियमों के तहत नियम 22(ii) के तहत अपील योग्य नहीं होगा। इस न्यायालय का मानना है कि जहां तक 26.11.2019 के पत्र का संबंध है, वह निस्संदेह उस निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है, जिसके तहत उपरोक्त समिति का पुनः निर्वाचन कराए जाने का निर्देश दिया गया है, जो याचिकाकर्ता के मूल्यवान अधिकारों और दायित्वों को प्रभावित करता है। इसके अतिरिक्त, यह पत्र पंजीकरण महानिरीक्षक द्वारा 25.11.2019 को अनुमोदित मसौदा आदेश का संप्रेषण भी है। अतः, उत्तरदाता संख्या 5 और 6 के निजी पक्षकारों की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया यह तर्क विचार योग्य नहीं है।

26. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, तथा उपर्युक्त कारणों के आधार पर, मैं यह उपयुक्त और न्यायोचित समझता हूँ कि दिनांक 19.09.2023 को अध्यक्ष-सह-सदस्य राजस्व बोर्ड बिहार, पटना के द्वारा पंजीकरण मामला संख्या 30/2019 में पारित आदेश को रद्द किया जाए, जिसके माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा नियम 22(ii), 2018 के तहत उत्तरवादी संख्या 3 द्वारा पारित दिनांक 26.11.2019 के आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई अपील यह कहते हुए निरस्त कर दी गई कि वह विचारणीय नहीं है। फलस्वरूप, पंजीकरण मामला संख्या 30/2019 में दायर अपील को राजस्व बोर्ड बिहार, पटना के समक्ष गुण-दोष के आधार

पर पुनः विचारार्थ वापस भेजा जाता है। यह कहना अनावश्यक है कि इस न्यायालय द्वारा उपर्युक्त अनुच्छेदों में की गई कोई भी टिप्पणी मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझी जाएगी।

27. रिट याचिका को उपरोक्त सीमा तक स्वीकृत दी जाती है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

एस. एस. बी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।